

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.-172/2024

=====

मेसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड का कार्यालय गाँव फुलवारिया, पी. ओ. बरौनी, जिला-बेगुसराय-851112, बिहार में अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री आलोक चंडक के माध्यम से है, जिनकी आयु लगभग 54 वर्ष है, पिता- स्वर्गीय सुशील चंद चंडक, गाँव-फुलवारिया, पी. ओ.- बरौनी, जिला-बेगुसराय।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. राज्य कर (लेखा परीक्षा), वाणिज्यिक कर विभाग, दरभंगा के संयुक्त आयुक्त।
3. राज्य कर सहायक आयुक्त (लेखा परीक्षा), वाणिज्यिक कर विभाग, दरभंगा।
4. राज्य कर सहायक आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर कार्यालय, तेघरा, बेगुसराय।
5. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर कार्यालय, तेघरा, बेगुसराय।

..... उत्तरदाताओं

उपस्थित:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री निखिल कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता
 सुश्री अदिति हंसारिया, अधिवक्ता
 श्री यश सहाय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री विकास कुमार, स्थायी अधिवक्ता (11)

=====

रिट याचिका- वैट (VAT) प्रणाली के तहत याचिकाकर्ता को प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की वापसी के लिए दायर की गई।

याचिकाकर्ता का कुल ITC दावा ₹1,88,60,453.42/- था। नई जीएसटी प्रणाली के तहत, करदाताओं को वैट प्रणाली के ITC को आगे ले जाने का लाभ दिया गया। याचिकाकर्ता ने ₹1,68,78,801/- को आगे ले जाने का दावा किया। ₹19,81,652/- का अंतर याचिकाकर्ता ने उस समय दावा नहीं किया क्योंकि याचिकाकर्ता के पास इस दावे को प्रमाणित करने के लिए वैधानिक फॉर्म उपलब्ध नहीं थे।

मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन अधिकारी ने उठाए गए पूरे दावे को स्वीकार कर लिया। मूल्यांकन अधिकारी ने ₹19,81,652/- की अतिरिक्त ITC भी स्वीकार की, जिसे जब वापसी के रूप में मांगा गया, तो अनुमति नहीं दी गई। इस विशेष दावे को अस्वीकार कर दिया गया।

निर्णय

—

यह कहना गलत है कि यदि कोई ITC उपलब्ध थी और उसे आउटपुट टैक्स में समायोजित नहीं किया गया क्योंकि उसे आगे ले जाने के लिए दावा नहीं किया गया था, तो उसे नकद रूप में वापस किया जा सकता है। आगे ले जाने के लिए उपलब्ध ITC केवल आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए समायोजित की जा सकती है। ITC केवल "क्रेडिट" के रूप में उपलब्ध है, जिसे नकद के रूप में वापस नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि ITC का पूरा हिस्सा मूल्यांकन आदेश में आगे ले जाने के लिए सक्षम के रूप में दिखाया गया था। लेकिन वह हिस्सा, जिसे आगे ले जाने के लिए दावा नहीं किया गया, उसे सेट-ऑफ के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि जीएसटीआर ट्रांस-1 (GSTR TRAN-1) में केवल कम हिस्से को आगे ले जाने के लिए दावा किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने ₹19,81,652/- को आगे ले जाने का दावा नहीं किया, इस कारण याचिकाकर्ता नकद वापसी या ITC के रूप में सेट-ऑफ का दावा करने के लिए अयोग्य है। ऐसी स्थिति में, धारा 142(8) के उपखंड (b) का याचिकाकर्ता के दावे पर कोई लागू नहीं होता। (पैरा 8)

रिट याचिका खारिज की जाती है।(पैरा 17)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 10-07-2024

याचिकाकर्ता, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत एक करदाता, मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था के तहत याचिकाकर्ता को प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की वापसी का दावा करता है; जबकि याचिकाकर्ता बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत एक करदाता था।

2. हमने याचिकाकर्ता की ओर से श्री निखिल कुमार अग्रवाल और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार को सुना।

3. याचिकाकर्ता का तर्क है कि वैट अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का कुल आईटीसी दावा 1,88,60,453.42 रुपये था। 01.07.2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने पर, मूल्यांकनकर्ताओं को वैट व्यवस्था के आईटीसी को नई जीएसटी व्यवस्था के तहत आगे ले जाने का लाभ दिया गया। याचिकाकर्ता ने वैट अधिनियम के तहत 31.06.2017 को रिटर्न दाखिल किया था और कानून में निर्धारित फॉर्म जीएसटीआर ट्रान-1 में अनुलग्नक-पी/2 के अनुसार आगे ले जाने की भी मांग की थी। आगे ले जाने का दावा 1,68,78,801 रुपये का था। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि Rs.19,81,652/- के अंतर का दावा नहीं किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास उस समय दावे को साबित करने के लिए वैधानिक प्रपत्र नहीं थे।

4. बाद में, मूल्यांकन किया गया एवं एनेक्सचर-पी/2 में उठाए गए पूरे दावे को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मूल्यांकन अधिकारी ने 19,81,652 रुपये के अतिरिक्त आईटीसी की अनुमति दी, जिसे हालांकि, जब रिफंड के रूप में मांगा गया, तो अनुमति नहीं दी गई। विशेष रूप से किए गए दावे को अनुलग्नक-पी/7 आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 140 और 142(8)(बी) के तहत विशेष रूप से कानून में उपलब्ध आईटीसी को आगे बढ़ाने के प्रावधानों के आधार पर तर्क दिया। धारा 140 आईटीसी दावों के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था है और याचिकाकर्ता ने उप-धारा (2) के तहत दावा किया था, जैसा

कि अनुलग्नक-पी/2 से स्पष्ट है। धारा 143(8)(बी) के आधार पर याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि जब मूल्यांकन किया जाता है और वापसी का आदेश दिया जाता है तो धारा 142 के खंड (8)(बी) के अनुसार उसे अनिवार्य रूप से करदाता को वापस किया जाना चाहिए।

6. धारा 142 विविध संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है और उप-धारा (1) विशेष रूप से उन वस्तुओं से संबंधित है जिन पर शुल्क का भुगतान नियत तिथि से 6 महीने पहले नहीं किया गया है और जो नियत तिथि को या उसके बाद किसी भी व्यावसायिक स्थान पर वापस आ गई हैं, जिससे पंजीकृत व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के लिए पात्र हो जाते हैं; जब रिटर्न नियत दिन से 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाता है और माल उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए पहचान योग्य होता है। प्रत्येक उपधारा अलग-अलग आकस्मिकताओं से निपटती है और धारा (8) (बी) पर जोर दिया जाता है। धारा 8 का उप-खंड (ए) कर अधिकारियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के माध्यम से पहले के मौजूदा कानून के अनुसार वसूली योग्य किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना या दंड को वसूलने में सक्षम बनाता है, जो राशि आईटीसी का दावा करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। जबकि खंड (ए) विभाग को ऐसी वसूली करने में सक्षम बनाता है और ऐसी वसूली पर किसी भी आईटीसी दावे को प्रतिबंधित करता है, धारा 142 (8) का खंड (बी) करदाता को दिया गया लाभ है।

7. धारा 142(8) के खंड (बी) के अनुसार जब सीजीएसटी अधिनियम की नियत तिथि से पहले, उस पर या उसके बाद शुरू किए गए पहले के मौजूदा कानून के तहत मूल्यांकन पूरा हो जाता है, तो कर, ब्याज, जुर्माना या दंड की कोई भी राशि जो व्यक्ति को वापसी योग्य हो जाती है, उसे उक्त कानून के तहत नकद में वापस किया जाएगा। तर्क यह है कि, इसमें जो कहा गया है वह वैट अधिनियम के तहत पूरी की गई किसी भी मूल्यांकन या न्यायनिर्णयन कार्यवाही के संबंध में है, चाहे वह नियत तिथि से पहले, उस पर या उसके बाद शुरू की गई हो, जिसमें कोई भी वापसी सक्षम है, उसे नकद में वापस किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह केवल यह इंगित करेगा कि, यदि कोई आईटीसी उपलब्ध था और इसे आगे ले जाने के लिए दावा नहीं किए जाने के कारण आउटपुट टैक्स में समायोजित नहीं किया गया था, तो नकद में वापसी हो सकती है।

8. यह तर्क स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध आईटीसी की राशि केवल आउटपुट टैक्स के विरुद्ध समायोजन के रूप में दावा की जा सकती है | नामकरण द्वारा जो उपलब्ध है, वह केवल "क्रेडिट" है जिसे बंद किया जाना है और नकद के रूप में वापस नहीं किया जाना है। वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, आई. टी. सी. को मूल्यांकन आदेश में दिखाया गया था, जो पूरी तरह से अग्रसारण

के लिए सक्षम था। लेकिन कैरी फॉरवर्ड के लिए दावा नहीं किए गए हिस्से को सेट-ऑफ के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि जी. एस. टी. आर. टी. आर. ए. एन.-1 में कैरी फॉरवर्ड के लिए केवल एक कम हिस्से का दावा किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे ले जाने के लिए Rs.19,81,652/- का दावा नहीं किया है, यह याचिकाकर्ता को नकद में या आईटीसी के रूप में सेट-ऑफ के लिए किसी भी धनवापसी का दावा करने से वंचित कर देगा। उन परिस्थितियों में, धारा 142 (8) के उपखंड (बी) में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे पर कोई आवेदन नहीं है।

9. विद्वान सरकारी प्लीडर ने जवाबी हलफनामे से यह भी बताया है कि, अग्रसारण के लिए प्रदान किए गए 40 दिनों के अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए, धारा 140 के तहत दावा करने के लिए 01.10.2022 से 30.11.2022 तक एक और अवधि उपलब्ध कराई गई थी। याचिकाकर्ता ने आगे का दावा का लाभ नहीं उठाया, जिसे अनुलग्नक-पी2 के तहत दावा करने के लिए छोड़ दिया गया था, अब नकद के रूप में धनवापसी की मांग नहीं कर सकता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष *एडफर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ; एआईआर ऑनलाइन 2019 पंजाब और हरियाणा 1155* में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का एक निर्णय प्रस्तुत किया। *एडफर्ट टेक्नोलॉजीज (सुप्रा)* वर्ष 2019 में एक है, इससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रान-1/ट्रान-2 फॉर्म अपलोड करने के लिए 01.10.2022 से 30.11.2022 के बीच दो महीने की विंडो प्रदान की गई थी। उद्धृत निर्णय में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को उजागर किया और दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया; (i) पंजीकृत व्यक्ति जिन्होंने 27.12.2017 तक ट्रान-1 दाखिल नहीं किया और जिनके पास निर्धारित अवधि के भीतर ट्रान-1 लोड करने के प्रयास का कोई सबूत नहीं है और (ii) पंजीकृत व्यक्ति जिन्होंने 27.12.2017 तक ट्रान-1 अपलोड किया था, जिसमें कोई गलती हुई थी जिसे वे संशोधित करना चाहते थे। खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शुरु में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 के तहत अप्रयुक्त वस्तुओं को आगे बढ़ाने की अनुमति सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 117 के तहत नियत तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, और अंततः अंतिम तिथि 27.12.2017 तय की गई थी। खंडपीठ ने पाया कि एक चालू चिंता में एक वैध उम्मीद थी, कि जब कर व्यवस्था बदल जाएगी, तो उन्हें पिछले व्यवस्था के तहत उपलब्ध क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। यह पाया गया कि इस तरह के निहित अधिकार को अस्वीकार करना अनुच्छेद 14 के विपरीत होगा और 'वैध अपेक्षा के सिद्धांत' के सार के साथ संघर्ष करता है। यह इस तर्क पर है कि प्रतिवादियों को निर्देश

जारी किया गया था कि वे याचिकाकर्ता को उस उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल खोलकर फॉर्म ट्रान-1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की अनुमति दें या याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए दावे की उचित प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए 15.10.2019 को या उससे पहले उक्त फॉर्म को मैनुअल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दें; विशेष रूप से नई व्यवस्था और पुरानी से नई व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया से खुद को परिचित करने में निहित शुरुआती समस्याओं पर विचार करते हुए।

11. हम इस बात पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते कि उन कठिनाइयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया था जब कानून में दिए गए समय के बाद भी संक्रमणकालीन दावों को सक्षम करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप दो महीने की राहत मिली, यानी 01.10.2022 और 30.11.2022 के बीच जब इस तरह के दावे अपलोड किए जा सकते थे।

12. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने 1,88,60,453/- रुपये के कुल उपलब्ध दावे के विरुद्ध 1,68,78,801/- रुपये का दावा करते हुए एक ट्रान-1 फॉर्म अपलोड किया था। अपलोड किए गए फॉर्म में जो दावा नहीं किया गया था वह स्वैच्छिक था और ऐसी राशियों से संबंधित था जिसके लिए कोई वैधानिक प्रपत्र नहीं था। याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि उसके पास 19,81,652/- रुपये के लिए कोई वैध दावा नहीं था; इसलिए, याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से कैरी फॉरवर्ड के लिए दावा शामिल नहीं किया था। यह भी उचित है कि याचिकाकर्ता ने वैधानिक फॉर्म अपलोड किया था जो पिछली व्यवस्था में आईटीसी को आगे ले जाने की सुविधा देता है, उसने 27.12.2017 से पहले किसी भी समय इसे संशोधित नहीं किया था जब नियमों में इसके लिए प्रावधान किया गया था। बाद में, जैसा कि हमने राज्य के जवाबी हलफनामे से देखा, 01.10.2022 और 30.11.2022 के बीच एक और समय प्रदान किया गया था; जिसका भी याचिकाकर्ता द्वारा लाभ नहीं उठाया गया। ऐसी परिस्थितियों में, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से फॉर्म ट्रान-1 में रु.19,81,652/- शामिल नहीं किए, न ही उसने दो महीने की विंडो प्रदान किए जाने पर दावे को संशोधित करने का प्रयास किया। याचिकाकर्ता के संक्रमणकालीन प्रावधानों से परिचित न होने या आगे ले जाने की मांग करने में किसी तकनीकी खराबी का सामना करने या विशेषज्ञता की कमी से परेशान होने का कोई सवाल ही नहीं है। फॉर्म जी.एस.टी.आर ट्रान-1 के अनुसार पर्याप्त दावा किया गया था, जिसे अपलोड किया गया था और दावा की गई पूरी राशि को आउटपुट टैक्स में सेट-ऑफ करने की अनुमति दी गई थी।

13. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने की पात्रता और शर्तें माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 द्वारा वैधानिक रूप से संचालित होती हैं। यह प्रावधान प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन और धारा 49 में निर्दिष्ट तरीके से किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स का श्रेय लेने की अनुमति देता है, जो उसके व्यवसाय के विस्तार में उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा करके। इस प्रकार लाभ केवल विधान में प्रदान किए गए तरीके से एक क्रेडिट के रूप में दावा किया जा सकता है, या बिल्कुल भी नहीं और किसी भी स्थिति में नकद में रिफंड के रूप में नहीं। धारा 49 (2) आत्म-मूल्यांकन पर दावा किए गए आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा करने का प्रावधान करती है और उप-धारा (4) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग जीएसटी के तहत देय आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए करने का प्रावधान करती है।

14. जीएसटी अधिनियम की धारा 18 का शीर्षक 'विशेष परिस्थितियों में क्रेडिट की उपलब्धता' है। धारा 18 (1) और (2) निम्नलिखित हैं:

18. विशेष परिस्थितियों में ऋण की उपलब्धता।—

(1) ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित किए जा सकते हैं—

(ए) कोई व्यक्ति जिसने पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और उसे ऐसा पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से ठीक पहले के दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा;

(बी) कोई व्यक्ति जो धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत पंजीकरण लेता है, वह पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से ठीक पहले के दिन स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा;

(सी) जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति धारा 10 के तहत कर का भुगतान करना बंद कर देता है, वह स्टॉक में रखे गए इनपुट, स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट और पूंजीगत वस्तुओं पर उस तारीख से ठीक पहले के दिन इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिस दिन से वह धारा 9 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है:

बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं पर क्रेडिट ऐसे प्रतिशत बिंदुओं से कम हो जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

(डी) जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की छूट प्राप्त आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति बन जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति स्टॉक में रखे गए इनपुट और ऐसी छूट

प्राप्त आपूर्ति से संबंधित स्टॉक में रखे गए अर्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट के संबंध में और ऐसी छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत माल पर उस तारीख से ठीक पहले के दिन इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिससे ऐसी आपूर्ति कर योग्य हो जाती है:

बशर्ते कि पूंजीगत माल पर क्रेडिट ऐसे प्रतिशत बिंदुओं से कम किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(2) एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी आपूर्ति से संबंधित कर चालान जारी करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में उप-धारा (1) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा।

15. धारा 18 की उप-धारा (ए) एक सक्षम प्रावधान है, जिसका लाभ संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत धारा 140 में परिलक्षित होता है, जो वैट प्रावधानों के तहत पंजीकृत व्यवसाय को अनुमति देता है; जिसमें भी आईटीसी का अस्तित्व था, उस क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है जो जीएसटी शासन के तहत सेट-ऑफ के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो स्टॉक में रखे गए इनपुट के लिए है; चाहे वह सेमी-फिनिशड या फिनिशड फॉर्म में हो, जिस तारीख को व्यवसाय जीएसटी शासन के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। उप-धारा (2) किसी भी क्रेडिट को ऐसी आपूर्ति से संबंधित कर चालान की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त करने से प्रतिबंधित करती है। जहां तक संक्रमणकालीन दावों का संबंध है, 27.12.2017 को एक और सीमा निर्धारित की गई थी और फिर, निश्चित रूप से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दो महीनों की समय सीमा प्रदान की गई थी। जब तक कि दावा फॉर्म जीएसटीआर ट्रान-1 में प्रारंभ में प्रदान की गई या बाद में प्रदान की गई समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो इनपुट टैक्स के क्रेडिट और इसके सेट-ऑफ के लिए कोई दावा नहीं उठाया जा सकता है और कभी भी नकद में रिफंड नहीं दिया जा सकता है।

16. हमें रिफंड के दावे को खारिज करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जो रिफंड किसी भी स्थिति में लागू नहीं होता है, और याचिकाकर्ता केवल आउटपुट टैक्स के विरुद्ध सेट-ऑफ के रूप में आईटीसी का दावा कर सकता है।

17. रिट याचिका खारिज कि जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

शारुन/आदित्य

खंडन (डिस्ट्रिक्चर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।